न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/171 जिला–नागौर

लोडू खां पुत्र जामरदी खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. प्रेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर
दिनांक 24–08–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 161/2020
बउनवान प्रेमाराम बनाम तहसीलदार, डीडवाना

————

उपस्थित– 1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सर्वेश्वर माहेश्वरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 17–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–08–2021 द्वारा अपील स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज डॉट–डॉट को हटाकर पूर्वानुार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश पारित कर डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 346 है जिसमें आने जाने हेतु खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में ही प्रार्थी आवागमन करता है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम द्वारा सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय दिनांक 24–8–2021 की पालना में उक्त रास्ते की भूमि को अवरूद्ध कर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने पर आमादा है। इस कारण अपीलार्थी सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–8–2021 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 प्रेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खुनखुना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 339 रकबा 2.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर कुल रकबा 4.09 हैक्टर वाके ग्राम खुनखुना पटवार हल्का खुनखुना तहसील डीडवाना के राजस्व क्षैत्र में स्थित है जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम चला आ रहा है। विवादित आराजियात प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त की होने से अपीलार्थी का उक्त आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थी का धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि वाके मौजा खुनखुना तहसील, डीडवाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता के रूप में दर्ज है जिसका उपयोग उपभोग अपीलार्थी सदियों एवं पीढ़ियों से कदीमी रास्ते के रूप में कर रहा है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम उक्त दुरूस्ती की आड़ में खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर में दर्ज रास्ते की भूमि को गलत तथ्यों एवं मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर अपीलार्थी के उपयोग में आ रहे

रास्ते को बन्द करवाकर हड़पना चाहता था। इस कारण अपीलार्थी द्वारा द्वारा सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको उन्होंने अपने आदेश दिनांक 12–8–2021 द्वारा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 3965/2021 बउनवानी लोडू खां बनाम प्रेमाराम प्रस्तुत की जिसको माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–8–2021 से स्वीकार कर सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2021 को निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2021 निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी उक्त रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज कराने के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष भी धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र 25/2020 बउनवान लोडू खां बनाम प्रेमाराम पेश कर रखा है जो कि आज दिनांक तक विचाराधीन है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी लोडू खां को बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार बनाया जाकर इसकी सुनवाई की जानी चाहिए थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध पेश कर यह अनुतोष चाहा गया कि खेत खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता को हटाकर बारानी–2 अंकित किया जाकर उक्त खेत की खातेदारी स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम के नाम दुरूस्त कराने के आदेश प्रदान करावे। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 26–8–2021 को निर्णित किया जाकर सहायक कलक्टर डीडवाना को निर्देश दिये कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को पुनः निस्तारण तक प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं करे इसके बावजूद भी सहायक कलक्टर डीडवाना ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–8–2021 द्वारा गैर कानूनी रूप से डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है। उक्त आदेश की डिक्री जारी नहीं हो सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार बनाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2021 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा उनके आदेश दिनांक 12–8–2021 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0.दी0 कोई औचित्य नहीं होने के कारण खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपील का निर्णय दिनांक 24–8–2021

को ही हो चुका है जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश 1 नियम 10 पर सुनवाई करने हेतु प्रकरण दिनांक 26–8–2021 को प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया है कि उक्त दुरूस्तीकरण पूर्वानुसार अर्थात पूर्व रेकार्ड की स्थिति के अनुसार किया गया है। खसरा नम्बर 345 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 186 ही खसरा नम्बर 345 में परिवर्तित हुआ है तथा खसरा नम्बर 186 के ट्रेस नक्शा का अवलोकन अनुसार उक्त नक्शा सन् 1960–61 का है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डॉट–डॉट रास्ता नहीं दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 186 की खातेदारी भी पूर्ण रूप से प्रेमाराम पुत्र रामूराम के नाम ही है तथा शुरू से ही उनके हक अधिकार व कब्जे में चली आ रही है तथा उसमें भी किस्म बारानी–2 बताई गई है तथा उसमें भी सम्वत 2070–73 में जमाबंदी में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कहीं भी खसरा नम्बर 186 में नहीं दर्शाया गया है।

उनका यह भी कथन कि अपीलार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा उचित नहीं समझने पर खारिज किया गया तथा उस आदेश को जब अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष चैलेंज किया तो फिर अधीनस्थ न्यायालय की प्रासिडिंग पर न तो स्टे करवाया गया व ना ही ऐसा कोई आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित किया गया तथा दिनांक 24–8–2021 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा मेरिट पर प्रकरण को सुनवाई कर निर्णित कर दिया गया केवल मात्र अपील/निगरानी प्रस्तुत कर देने मात्र से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवही को नहीं रूकवाया जा सकता है उसके लिए विशेषत आदेश करवाने आवश्यक होते है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा नम्बर 25/2020 बउनवान लोडू खां बनाम प्रेमाराम खसरा नम्बर 345 के लिए प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा किसी भी प्रकार के हक अधिकार उस दावे में तय किये जा सकते है तो फिर जिस मुकदमे में अपीलार्थी पक्षकार तक नहीं है उसकी अपील किस आधार पर सुनवाई की जा सकती है तथा उसमें किसी प्रकार के हक अधिकार कैसे तय किये जा सकते है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2021 विधिसम्मत है अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खुनखुना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 339 रकबा 2.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर कुल रकबा 4.09 हैक्टर में स्थित है जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख

अनुसार विवादित आराजियात के पुराने खसरा नम्बर 182 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 186 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 693/106 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 221 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 339 ररकबा 2.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर भूमि का रकबा 1.17 हैक्टर है। मौके की वास्तविक स्थिति पर न तो कभी ऐसा रास्ता विद्यमान रहा न होने का प्रश्न है जो पुराने राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। राजस्व नक्शे में किस आधार पर किस सक्षम अधिकारी के आदेश से नक्शें में खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर का रास्ता नक्शा ट्रेस में अलग से दर्शा कर गलत रूप से रास्ते की रेखाऐ खींच दी गई बिना आदेशों के की गई कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 7–8–2020 जो कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा सहायक कलक्टर डीडवाना को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1174 दिनांक 7–8–2020 द्वारा प्रेषित की है जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम खुनखुना के खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर किस्म बारानी–2 1.15 गै0मु0रास्ता 0.02 हैक्टर वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है नक्शे में डॉट–डॉट रास्ता दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त खसरे में रास्ते के कोई निशानात मौजूद नहीं है मौके पर उक्त खसरे में फसल की बुवाई की हुई है और इसी खसरे के गत खसरा नम्बर 186 रकबा 7.05 बीघा किस्म बारानी–2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। गत राजस्व रेकार्ड नक्शा व जमाबंदी में रास्ता का अंकन नहीं है। जमाबंदी सम्वत 2074–77 में खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर में 0.02 हैक्टर गै0मु0रास्ता किसके आदेश से लिखा गया है का कोई उल्लेख नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का कथन कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा कोई औचित्य नहीं होना मानतेहुए दिनांक 12–8–2021 को खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की जिन्होंने उनके आदेश दिनांक 26–4–2021 द्वारा आदेश दिनांक 12–8–2021 खारिज कर उनके आदेश दिनांक 26–8–2021 द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाकर सुनवाई कर तहसीलदार, डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर में 0.02 हैक्टर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज डॉट–डॉट को हटाकर पूर्वानुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिनांक 24–8–2021 को ही आदेश पारित कर दिये। सहायक कलक्टर द्वारा मेरिट पर निर्णय पारित करने के पश्चात पुनः आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करना विधिसम्मत नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–08–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–08–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 161/2020 बउनवान प्रेमाराम बनाम तहसीलदार, डीडवाना विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर